न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डि./टीए/2119/2003/चितौडगढ

1. लाला पिता नारायण भील
2. उदा पिता प्यारा भील
   निवासीगण गांव बामनिया तहसील व जिला चितौडगढ

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. नन्दा पिता नारायण भील (उनवानित) निवासी ग्राम बामनिया तहसील व जिला चितौडगढ

–प्रत्यर्थी

2. तहसीलदार, चितौडगढ
3. ऊंकार पिता प्यारा भील निवासी ग्राम बामनिया तहसील व जिला चितौडगढ

–तरतीबी प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–
श्री विभोर गौड, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 13.07.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–03–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126, 128, 150 एवं 152 कुल किता 11 कुल रकबा 2.30हैक्टयर भूमि बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में उक्त विवादित आराजी में वादी का 1/3, प्रतिवादी संख्या–1 का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या–2 से 4 का 1/3 हिस्सा दर्ज है, जिस पर पक्षकारान हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से पक्षकारान के मध्य झगडा रहता है। अतः विवादित भूमि का विभाजन कराया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा अलग अलग दर्ज कराया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या–1 से 3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया तथा कथन किया कि वादी के जायन्दा पिता का नाम उदा भील होकर ग्राम अभयपुर का निवासी है, वादी नारायण का पुत्र नहीं है। वादी ने राजस्व अभिलेख में अपना नाम गलत तौर पर दर्ज करवा लिया है जिस`हटाया जाकर वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर अनुतोष सहित 05 विवाद्यक की विरचना कर उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत विभाजन के वाद को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09–09–2002 से खारिज कर दिया तथा प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर विवादित के खाते में दर्ज वादी का नाम विलोपित किया जाकर विवादित आराजी स्वर्गीय नारायण के वारिस प्रतिवादी संख्या–1 लाला पिता नारायण का 1/2 हक तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उदा पिता प्यारा, ऊकार पिता प्यारा का 1/2

हक हिस्सा बराबर घोषित कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–03–2003 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9–9–2002 को निरस्त कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 3 का काउन्टर क्लेम खारिज कर वादी को ग्राम बामनिया स्थित विवादित भूमि में 1/3, प्रतिवादी संख्या–1 को 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या–2 व 3 को 1/3 हक घोषित किया जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार चितौडगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया कि नियमानुसार विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ के समक्ष पेश करें। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी के परिप्रेक्ष्य में मूल वाद में कायम की तनकीयात पर विस्तृत रूप से विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत बंटवारे के वाद को खारिज किया तथा उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर विवादित के खाते में दर्ज वादी का नाम विलोपित किया जाकर विवादित आराजी स्वर्गीय नारायण के वारिस प्रतिवादी संख्या–1 लाला पिता नारायण का 1/2 हक तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उदा पिता प्यारा, ऊकार पिता प्यारा का 1/2 हक हिस्सा बराबर घोषित किये जाने

का आदेश पारित किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी क्योंकि वादी न तो नारायण भील का जायन्दा पुत्र है ना ही प्रतिवादीगण का संगा भाई है। उनका कथन है कि वादी गेलड पुत्र को बाद वाले पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, रिकार्ड एवं सुस्थापित विधिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपने मस्तिष्क का न्यायिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन नहीं करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मूल वाद में कायम की गयी तनकीयात पर किसी प्रकार की कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करने में सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधान अर्थात् आदेश 41 नियम 31 जाप्ता दीवानी की अनदेखी की गयी है तथा राजस्व रिकार्ड में हुए अंकन को अत्यधिक महत्व देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है। उनका कथन है कि वादी नन्दा का पिता नारायण था तथा प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित नहीं करा सके कि वादी नन्दा का पुत्र नहीं होकर उदा का पुत्र था एवं उसकी माता के साथ आया था। उनका कथन है कि वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी एवं

मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित कराया कि वादी नन्दा अपने पिता नारायण के साथ रहता था तथा नारायण की सम्पत्ति पर काबिज काश्त है। उनका कथन है कि वादी नन्दा की उम्र 70 वर्ष है, इतने लम्बे समय तक प्रतिवादीगण ने वादी के स्वत्व से इन्कारी नहीं की। उनका कथन है कि वादी उदा का पुत्र नहीं होकर नारायण का जायन्दा पुत्र होने से विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का विभाजन कराने का अधिकारी है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर अत्यधिक महत्व देते हुए वादी को गेलड पुत्र होना मानकर बंटवारे के वाद को खारिज करने तथा प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम को स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री को स्वीकार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126, 128, 150 एवं 152 कुल किता 11 कुल रकबा 2.30हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी का 1/3, प्रतिवादी संख्या–1 का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या–2 से 4 का 1/3 हिस्सा दर्ज है, जिस पर पक्षकारान

हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। अतः विवादित भूमि का विधिवत् विभाजन कराया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा अलग अलग दर्ज कराया जावे। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या–1 से 3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के जायन्दा पिता का नाम उदा भील होकर ग्राम अभयपुर का निवासी है, वादी नारायण का पुत्र नहीं है। वादी ने राजस्व अभिलेख में अपना नाम गलत तौर पर दर्ज करवा लिया है जिसे हटाया जाकर वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर अनुतोष सहित 05 विवाद्यक की विरचना कर उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत विभाजन के वाद को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09–09–2002 से खारिज कर दिया तथा प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर विवादित के खाते में दर्ज वादी का नाम विलोपित किया जाकर विवादित आराजी स्वर्गीय नारायण के वारिस प्रतिवादी संख्या–1 लाला पिता नारायण का 1/2 हक तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 उदा पिता प्यारा, ऊकार पिता प्यारा का 1/2 हक हिस्सा बराबर घोषित कर दिया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2050–2053 में नन्दा, लाला पिता नारायण, उदा, ऊकार, रतन पिता प्यारा का नाम दर्ज होने से वादी एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी के सहखातेदार के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह स्पष्टतयाः प्रमाणित हो कि नन्दा का पिता उदा था। जहां तक भाट की पोथी का प्रश्न है, इसमें केवल वादी नन्दा नारायण के परिवार का नहीं है एवं इससे नन्दा का पिता उदा था, यह प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी स्वंय

ने अपने बयान में विवादित भूमि के कुछ हिस्से पर नन्दा का कब्जा होना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में केवल मात्र यह कहना कि भू–प्रबन्ध के दौरान नन्दा द्वारा अपना नाम गलत रूप से अंकित करा लिया गया, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि वादी नन्दा अपनी माता के साथ नारायण के यहां गेलड के रूप में आया था। वादी नन्दा अपने पिता नारायण की मृत्यु उपरान्त वर्षो से विवादित आराजी पर सहखातेदारी के रूप में प्रतिवादीगण के साथ राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादी द्वारा विवादित आराजी बाबत् बंटवारे का वाद प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त संयुक्त सहखातेदारी के इन्द्राज को वर्षो उपरान्त काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर चुनौती देना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर वादी नन्दा को नारायण का पुत्र नहीं होना मानकर बंटवारे के वाद को खारिज करने एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम में स्वीकार करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय से निरस्त कर बंटवारे के वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को खारिज किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिनमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारापारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–03–2003 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(महावीर सिंह)
सदस्य